कमिश्नर वाणिज्य कर ,उत्तर प्रदेश

उपस्थितः- श्री दीपक कुमार ,कमिश्नर वाणिज्य कर , उत्तर प्रदेश ।

प्रार्थी :- **सर्वश्री बटुक नाथ मौर्य ,एडवोकेट, चैम्बर नम्बर -51ए, प्रथम तल, दि सेन्ट्रल बार एसोसिएशन बिल्डिग,कलेक्ट्रेट कम्पाउन्ड,वाराणसी ।**

प्रा0प0सं0- **295/2008**

प्रार्थी की ओर से- **श्री एस0के0श्रीवास्तव,अधिवक्ता ।**

उत्तर प्रदेश मूल्य संवर्धित कर अधिनियम,2008की धारा-59 के अर्न्तगतनिर्णय

1- प्रार्थी के द्वारा दिनांक 09-6-2008 को उत्तर प्रदेश मूल्य संवर्धित कर अधिनियम,2008 की धारा-59 के अर्न्तगत एक प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया जिसमें निम्न वस्तुओं पर कर की दर की जानकारी चाही गयी है:-

1- रजिस्टर,एकाउन्ट बुक, नोट बुक,आर्डर बुक,रसीद बुक ,लैटर पैड ।

2- कैश मीमो, बिल बुक,चालान बुक,स्कालर रजिस्टर,टेलीफोन इन्डेक्स ।

3- डुप्लीकेट बुक, ट्रिप्लिकेट बुक, डे बुक ,हाफ रजिस्टर इत्यादि सामग्री जिन पर लाइनिंग मशीन द्वारा लाइन खींची गयी है।

4-ऐसी स्टेशनरी सामग्री जिस पर लाइनिंग मशीन द्वारा लाइनिंग की जाय और प्रिन्टिग मशीन द्वारा प्रिन्ट भी किया जाय वे प्रिन्टेड मैटेरियल की श्रेणी में है अथवा नहीं ।

2- ज्वाइन्ट कमिश्नर(कार्यपालक),,वाणिज्य कर,वाराणसी से प्राप्त आख्या में उल्लेख किया गया है कि प्रार्थी ने अपने प्रार्थना पत्र में उल्लिखित जिन वस्तुओं का उल्लेख किया है वह समस्त छपी वस्तुयें है ।वैट अधिनियम की अनुसूची-2 के भाग क के कमांक 100 पर Printed materials including diary and calendar की प्रविष्टि है । अतः इस पर उन प्रविष्टियों के अधीन 4 प्रतिशत की दर से करदेयता है।

3- धारा-59 के प्रार्थना पत्र पर सुनवाई हेतु श्री एस0के0श्रीवास्तव,अधिवक्ता उपस्थित हुयें व धारा-59 के प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराया ।

4- मैनें व्यापारी के धारा-59 के प्रार्थना पत्र में उल्लिखित तथ्यों,प्राप्त विभागीय आख्या का अवलोकन किया। प्रार्थी द्वारा पूछे गये प्रश्न कमांक 1,2,3,4 में अंकित वस्तुयें Printed materials के अन्तर्गत आती है । अतः वैट अधिनियम की अनुसूची-2 के भाग क के कमांक 100 पर अंकित Printed materials including diary and calendar के अन्तर्गत 4 प्रतिशत की दर से कर देय है।

5- प्रार्थी के द्वारा प्रस्तुत धारा-59 के प्रार्थना पत्र में उल्लिखित प्रश्न का उत्तर उपरोक्तानुसार दिया जाता है।

6- इस निर्णय की एक प्रति प्रार्थी को तथा एक प्रति सम्बन्धित कर निर्धारक अधिकारी को आवश्यक कार्यवाही हेतु भेजी जाय।

दिनांक :: 2, सितम्बर,2008

प्रमाणित प्रतिलिपि

ह0 2.9.08

(दीपक कुमार)

कमिश्नर वाणिज्य कर ,

उत्तर प्रदेश,लखनऊ।